

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 23.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, ज्ञानशिखा टाइम्स, काशीवार्ता, न्यायाधीश, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

ज्ञानशिखा टाइम्स—दि० 23.12.2025

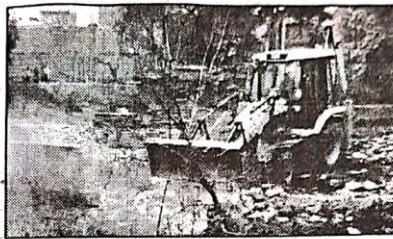
भ्रष्टाचार रोकने हेतु उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा द्वारा प्रभावी एवं सख्त कदम

वाराणसी। विकास प्राधिकरण में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाने के उद्देश्य से उपाध्यक्ष श्री पूर्ण बोरा द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत मानचित्र स्वीकृति, निर्माण अनुमति, अवैध निर्माण अथवा किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही के नाम पर यदि किसी कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग की जाती है, तो इसकी शिकायत सीधे उपाध्यक्ष महोदय के मोबाइल नंबर 7518102802 पर की जा सकती है। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वाराणसी विकास प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति एवं निर्माण संबंधी सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार व पारदर्शी तरीके से संपादित की जाएं। किसी भी स्तर पर अनियमितता, अवैध वसूली अथवा भ्रष्ट आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त विभागीय एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी, जिससे आम नागरिक बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें। उपाध्यक्ष ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध मांग के आगे न झुकें तथा तत्काल इसकी सूचना प्राधिकरण को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। वाराणसी विकास प्राधिकरण का उद्देश्य एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं जन-हितैषी प्रशासन स्थापित करना है। भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है।

काशीवार्ता—दि० 23.12.2025

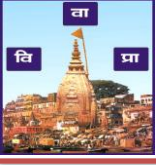
अवैध प्लाटिंग पर बनी चारदीवारी व निर्माण ध्वस्त

वाराणसी (काशीवार्ता)। अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण ने राजातालाब के मोहनसराय-टोडरपुर क्षेत्र में अवैध रूप से की गई प्लाटिंग पर जेसीबी बुलडोजर चलाते हुए बाउंड्री और टीनशेड कार्यालय को ध्वस्त कराया। साथ ही परिसर में चेतावनी स्वरूप नियमावली बोर्ड भी लगाया गया। अभियान के क्रम में अपर सचिव गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में शिवपुर स्थित तरना की धन्वतरी कॉलोनी में लगभग 32 बीघा में की गई चारदीवारी को गिराने का अभियान जारी रहा। इसी क्रम में सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में सारनाथ वार्ड के हवेलियां चौराहे के पास लगभग चार बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग की चारदीवारी को हटाया गया। बताया गया कि उक्त भूमि किसी राजेश पटेल की थी, जिस पर अवैध



तरीके से प्लाटिंग की गई थी। विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लाटिंग पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश-दि० 23.12.2025

भ्रष्टाचार रोकने हेतु उपाध्यक्ष वाविप्रा पूर्ण बोरा द्वारा प्रभावी एवं सख्त कदम

वाराणसी विकास प्राधिकरण में आगे न झुकें तथा तत्काल इसका पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित सूचना प्राधिकरण को दें, ताकि को सवीपरि रखते हुए भ्रष्टाचार समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। वाराणसी विकास उपाध्यक्ष श्री पूर्ण बोरा द्वारा प्रभावी प्राधिकरण का उद्देश्य एक स्वच्छ, कदम उठाए गए हैं। प्राधिकरण क्षेत्र पारदर्शी एवं जन-हितैषी प्रशासन अंतर्गत मानचित्र स्वीकृति, निर्माण स्थापित करना है। भ्रष्टाचार मुक्त अनुमति, अवैध निर्माण अथवा किसी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही हेतु यह पहल एक महत्वपूर्ण के नाम पर यदि किसी कर्मचारी कदम है।

या व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग की जाती है, तो इसकी शिकायत सीधे उपाध्यक्ष महोदय के मोबाइल नंबर 7518102802 पर की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वाराणसी विकास प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति एवं निर्माण संबंधी सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार व पारदर्शी तरीके से संपादित की जाएं। किसी भी स्तर पर अनियमितता, अवैध वसूली अथवा भ्रष्ट आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त विभागीय एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शिकायतकर्ता को पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी, जिससे आम नागरिक बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें। उपाध्यक्ष महोदय ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध मांग के

